



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]

नई दिल्ली, बंगलवार, मार्च 17, 2015/फाल्गुन 26, 1936

No. 581]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2015 /PHALGUNA 26, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(प्रादेशिक कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2015

का.आ. 771(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उप-नियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, प्रादेशिक कार्यालय, पूर्वी जोन, भुवनेश्वर में प्रादेशिक सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|-------|--|------------------|
| (i) | प्रधान, प्रादेशिक कार्यालय, पूर्वी जोन, भुवनेश्वर | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य वनपाल या वनपाल, प्रादेशिक कार्यालय, पूर्वी जोन, भुवनेश्वर की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| (iii) | डा. भागीरथी बेहरा,
अन्नपूर्णा भवन, न्यू लिंगराज कॉलोनी,
ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर 751002 ओडिशा
(ई मेल— bhagirathi.bbsr@gmail.com) | अशासकीय
सदस्य |
| (iv) | श्री पी.आर. मोहंती, अशासकीय
हाउस नं. 2, एचआईजी, बी.डी.ए. कॉलोनी
कपिला प्रसाद, ओल्ड टाउन,
भुवनेश्वर 751002 ओडिशा
(ई मेल— prmohanty49@gmail.com) | अशासकीय
सदस्य |
| (v) | श्री आर.के. जुत्शी,
224, फेस-II, वसंत विहार,
देहरादून 248006 उत्तराखंड
(ई मेल— rkrzutshiiifs@yahoo.com) | अशासकीय
सदस्य |

- (vi) उपवनपाल, प्रादेशिक कार्यालय, पूर्वी जोन, भुवनेश्वर
की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी

सदस्य—सचिव

2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के निम्न उल्लिखित अधिकारी, उनके अपने-अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए प्रादेशिक सशक्त समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) ओडिशा सरकार:

- (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980, ओडिशा सरकार;
(ii) संयुक्त सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, ओडिशा सरकार;

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार:

- (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) और नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), अधिनियम, 1980, पश्चिमी बंगाल सरकार;
(ii) सचिव, भूमि और भूमि सुधार विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार ।

3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनें और शर्तें उक्त नियमों के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

[फा. सं. 6-18/2014-आरओएचक्यू]

डा. एस.एस. नेगी, अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षक)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Regional Offices Headquarters Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2015

S.O. 771(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, Eastern Zone, Bhubaneswar (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely:—

- | | | |
|-------|--|--------------------------------|
| (i) | Head of the Regional Office, Eastern Zone, Bhubaneswar | Chairperson |
| (ii) | Senior most officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, Eastern Zone, Bhubaneswar; | Member |
| (iii) | Dr. Bhagirathi Behera,
Annapurna Bhawan, New Lingraj Colony,
Old Town, Bhubaneswar 751002 Odisha
(E-mail- bhagirathi.bbsr@gmail.com) | Non-Official
Member |
| (iv) | Shri P. R. Mohanty,
House No. 2, HIG 1, B.D.A. Colony,
Kapila Prasad, Old Town,
Bhubaneswar 751002 Odisha
(E-mail- prmhanty49@gmail.com) | Non-Official
Member |